५/१०/१७

नीलामी की सूचना

पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी परिसर के अन्दर ऑधी तूफान में गिरे ,सूखे सागौन, तुन, आम, इत्यादि एवं पुलिस लाइन बाउन्डी वाल महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द के निकट खडे (लगे) यूकेलिप्टस के दो बडे पेड तथा पुलिस लाइन मे परिवार कल्याण के बगल में पुरानी खपरैल बैरेक, धोबी घाट के सामने गेस्ट हाउस की सार्वजनिक नीलामी की जानी है, जिन्हें पुलिस लाइन्स लखीमपुर खीरी में देखा जा सकता है। दिनांक 05.10.2017 को पुलिस लाइन्स लखीमपुर खीरी के परिसर में जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी लाइन्स, प्रतिसार निरीक्षक तथा रेडियो निरीक्षक पुलिस लाइन खीरी की उपस्थिति में नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही उच्चतम बोली के आधार पर समय प्रातः 12:00 बजे सम्पादित की जायेगी। ऑधी तूफान में गिरे ,सूखे सागौन, तुन, आम, इत्यादि एवं पुलिस लाइन बाउन्डी वाल महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द के निकट खडे (लगे) यूकेलिप्टस के दो बडे पेड तथा पुलिस लाइन मे परिवार कल्याण के बगल में पुरानी खपरैल बैरेक, धोबी घाट के सामने गेस्ट हाउस नीलामी हेतु ठेकेदार उक्त निर्धारित तिथि व समय में उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकते हैं। उच्चतम बोली वाले के पक्ष में नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। नीलामी के उपरान्त उससे प्राप्त धनराशि प्रतिसार निरीक्षक लखीमपुर खीरी द्वारा आंकिक लखीमपुर खीरी के पास जमा कराना होगा। आंकिक नीलामी से प्राप्त धनराशि कोषागार में जमा कराकर सी0ओ0 नम्बर व तिथि से अवगत करायेंगें। खरीददार को उक्त अधिकारी की उपस्थिति में प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार उपरोक्त सामान को उठाने आदि की कार्यवाही करनी होगी।

पत्रांकः न–03 / 2017
दिनांकः अक्टूबर 04 ,2017

पुलिस अधीक्षक
खीरी।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को इस अनुरोध के साथ कि वह नामित मजिस्ट्रेट को निर्धारित तिथि पर पुलिस लाइन्स लखीमपुर खीरी पहुचकर उक्त नीलामी को सम्पादित कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अपर पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी लखीमपुर खीरी को इस अनुरोध के साथ कि उक्त नीलामी को नेट पर प्रदर्शित कर सूचना का प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।
4. क्षेत्राधिकारी लाइन्स लखीमपुर खीरी को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि पर पुलिस लाइन्स लखीमपुर खीरी पहुँचकर उक्त नीलामी को नियमानुसार सम्पन्न करायेंगे।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / समस्त सेनानायक लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ
6. प्रतिसार निरीक्षक लखीमपुर खीरी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त अधिकारियों के पर्यवेक्षण में नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार कराकर, उससेप्राप्त धनराशि आंकिक में जमा करायें।
7. आंकिक लखीमपुर खीरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष को अपने–अपने थाना क्षेत्र में प्रचार प्रसार हेतु।
9. दफ्तरी को नोटिसबोर्ड पर चस्पा हेतु।